न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 473–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–1–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 3 कुलेथ प्रकरण क्रमांक 43/12–13/अ–6.

———

यश समाज सेवी संस्था 16 पीताम्बरा
स्टेट इन्द्रमणी नगर ग्वालियर म0 प्र0
जरिये सचिव महेन्द्रपाल सिंह कुशवाह
पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह कुशवाह निवासी
ई–16 इन्द्रमणी नगर ग्वालियर म0 प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

मोतीलाल पुत्र श्री रामचरन रावत
आयु 60 वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम निरावली तहसील
जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री पी0 सी0 झा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0 एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त 2 कुलैथ द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम निरावली की विक्रीत भूमि सर्वे क्रमांक 217 रकबा 0.03 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 681 रकबा 0.15 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 690 रकबा 0.15 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हेक्टेयर में से उसके द्वारा 0.31 हेक्टेयर भूमि विक्रेतागण सीताराम अमर सिंह, जसवत रामहेत, मु0 रूकमा, राजेश एवं

सुनील से क्रय की है, अतः उक्त भूमि पर उसका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ–6/12–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान तहसीलदार के समक्ष आवेदक संस्था द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि जिस 0.33 हेक्टेयर भूमि में से अनावेदक द्वारा 0.31 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है उक्त सम्पूर्ण 0.33 हेक्टेयर भूमि को आवेदक संस्था द्वारा दिनांक 12–8–2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय कर लिया गया है । चूँकि अनावेदक द्वारा बाद में विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है, और प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की भूमि होने से सह खातेदार को केवल उसके हिस्से की भूमि विक्रय करने का अधिकार है, विशिष्ट सर्वे नंबर का विक्रय करने का अधिकार सह खातेदार को नहीं है, इसलिये अनावेदक का आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक संस्था की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की भूमि है और जिस भूमि को अनावेदक द्वारा क्रय किया गया है, उस भूमि सहित अन्य भूमि को आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर लिया गया है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामांतरण किया जाना अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि सह खातेदार द्वारा केवल अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया जा सकता है, संयुक्त भूमि के विशिष्ट सर्वे नंबर का विक्रय नहीं किया जा सकता है, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की गई है । तर्क के समर्थन में 1984 राजस्व निर्णय 175 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का कुल रकबा 7.76 हेक्टेयर है, और आवेदक द्वारा जिस सह खातेदार से भूमि क्रय की गई है उसके हिस्से में सिर्फ 1/18 हिस्से के मान से 1/2 बीघा भूमि आती है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा अन्य सह खातेदार का रकबा कम कर भूमि क्रय की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि क्रय की गई है वह भूमि अनावेदक की भूमि से पृथक है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा

उसकी आपत्ति निरस्त होने के उपरान्त भी आगामी पेशी पर साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण किया गया है, इसलिये प्रस्तुत आपत्ति महत्वहीन हो जाती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में तहसील न्यायालय के प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्ती योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक संस्था द्वारा मुख्य रूप से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि जिस भूमि 0.31 हेक्टेयर को अनावेदक द्वारा क्रय कर नामांतरण की मांग की गई है उस भूमि सहित आवेदक द्वारा 0.33 हेक्टेयर भूमि दिनांक 12–8–2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर ली है और आवेदक संस्था द्वारा भूमि क्रय करने के उपरान्त उसी भूमि में से 0.31 हेक्टयर भूमि अनावेदक द्वारा क्रय की गई है । इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा अविभाजित भूमि में से विशिष्ट सर्वे नंबर को सह खातेदार से क्रय किया गया है, जबकि सह खातेदार को केवल अपने हिस्से की भूमि विक्रय का अधिकार है । अविभाजित भूमि के विशिष्ट सर्वे नंबर की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर केवल यह उल्लेख किया गया है कि नामांतरण पर लगाई गई आपत्ति आवेदक की बहस पश्चात निरस्त की जाती है, परन्तु तहसीलदार द्वारा आदेश में आपत्ति निरस्त करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । तहसीलदार का विधिक दायित्व था कि वे सकारण आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते । तहसीलदार द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने से उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक संस्था की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर विधि के प्रावधानों के अनुरूप सकारण बोलता हुआ आदेश पारित किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर